



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272706
CG-DL-E-19052026-272706

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]
No. 138]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 15, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2026

सं. 11/2026-27

विषय: सिओन एम1 से एम8 के नीचे सिओन नोट्स की प्रविष्टि के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/015/एएम27/पीसी- 4 — समय-समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार तत्काल प्रभाव से मानक इनपुट आउटपुट मानदंडों (सिओन) एम-1 से एम-8 (रत्न और आभूषण उत्पाद समूह) के अंतर्गत निम्नलिखित नोट्स की प्रविष्टि करने को अधिसूचित करते हैं:-

नोट 1. सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) 100 किलोग्राम की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा सीमा के अधीन जारी किया जाएगा।

नोट 2. अगर कोई आवेदक पहली बार अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन करता है, तो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन करने वाले की विनिर्माण सुविधा का व्यावहारिक निरीक्षण करना होगा, ताकि विनिर्माण सुविधा के अस्तित्व क्षमता और संचालन स्थिति का सत्यापन किया जा सके।

नोट 3. सोने के आयात के लिए कोई भी बाद का अग्रिम प्राधिकार पत्र सोने के लिए पहले के अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्धारित निर्यात दायित्व का कम से कम 50% पूरा होने पर ही जारी करने पर विचार किया जाएगा, जिससे लगातार अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

नोट 4. अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) को प्रत्येक 15 दिन में एक निष्पादन रिपोर्ट देनी होगी, जिसे एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित किया गया हो और जिसमें प्राधिकार पत्र के तहत किए गए सोने के आयात और निर्यात को प्रमाणित किया गया हो, ताकि प्रभावी निगरानी और अनुपालन निगरानी हो सके।

नोट 5. संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, डीजीएफटी मुख्यालय को एक मासिक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें केंद्रीकृत निगरानी और नीति निरीक्षण को सक्षम करने के लिए अग्रिम प्राधिकारपत्र जारी करने और सोने के संबंधित आयात/निर्यात लेनदेन के बारे में विवरण होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के सियोन एम-1 से एम-8 के अंतर्गत 05 (पांच) नोट डाले गए हैं, जो सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकारपत्र जारी करने और निगरानी के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th May, 2026

No. 11/2026-27

Subject: Insertion of SION notes below the SIONs M1 to M8— reg.

F. No. 01/94/180/015/AM27/PC-4.— In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the insertion of the following notes under Standard Input Output Norms (SIONs) M-1 to M-8 (Gems and Jewellery Product Group), with immediate effect:

Note 1. The Advance Authorisation (AA) for import of gold shall be issued, subject to a maximum permissible quantity limit of 100 kilograms.

Note 2. In case of application for Advance Authorisation by a first time applicant, a mandatory physical inspection of the applicant's manufacturing facility shall be undertaken by the concerned regional authority to verify the existence, capacity and operational status of the manufacturing facility.

Note 3. Any subsequent Advance Authorisation for the import of gold, shall be considered for issuance only upon fulfilment of at least 50% of the export obligation prescribed under the preceding Advance Authorisations for gold, thereby ensuring progressive compliance and monitoring.

Note 4. The Advance Authorisation holder shall submit a fortnightly performance report to the concerned Regional Authority (RA), duly certified by an independent Chartered Accountant certifying gold imports and exports undertaken under the authorisation, to facilitate effective oversight and compliance monitoring.

Note 5. The concerned Regional Authority shall submit a monthly consolidated report to DGFT Headquarters containing details regarding the issuance of Advance Authorisations and corresponding import/export transactions of gold, to enable centralized monitoring and policy oversight.

Effect of this Public Notice: 05 (Five) Notes are inserted under SIONs M-1 to M-8 of the Handbook of Procedures, 2023, prescribing conditions for the issuance and monitoring of Advance Authorisations for import of gold.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.